

कार्यालय महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर, उ०प्र०।

पत्रांक:ई०सी०-1/2026/

दिनांक: 24/10/2026

—:सेवायोजन विज्ञापित:—

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के विज्ञापित संख्या कैम्प/2026/60 दिनांक 09.01.2026 द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापित के कम में माह के प्रत्येक बुधवार को इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक-14 जून, 2024 के अनुसार एन०एम०सी० मानको के अनुरूप चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वाक-इन-इंटरव्यू (Walk in interview) के माध्यम से चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त सम्बन्धित मूल अभिलेखों व एक सेट अभिलेखों (शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं 02 फोटो के साथ माह के प्रत्येक बुधवार को कार्यालय प्रधानाचार्य महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में समय प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। रिक्त पदों का निम्नवत हैं—

क० सं०	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह-आचार्य				सहायक आचार्य			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	आर्थोपेडिक्स	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	आयुर्वेदमोर्लोजी	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3	आव्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलोजी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
4	एनार्टोमी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	एनेस्थीसिया	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
6	कम्युनिटी मेडिसिन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(आर०एच०टी०सी०)	—	—	—	—	—	—	—	—	1#	1*	—	—
	(यू०एच०टी०सी०)	—	—	—	—	—	—	—	—	1#	1*	—	—
7	जनरल मेडिसिन	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1
8	जनरल सर्जरी	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2(sc) 1 (ST)	—
9	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12	पीडियाट्रिक्स	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
13	पैथोलॉजी	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
14	फार्माकोलॉजी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16	फिजियोलॉजी	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17	फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	बायोकेमिस्ट्री	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
19	माइक्रोबायोलॉजी	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20	रेडियो-डायग्नोसिस	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
21	रेडियो-थरेपी	—	—	—	—	—	—	—	—	1***	1	—	—
22	ब्लड बैंक	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
योग—		7	1	4	1	2	4	1	3	4	5	7	6
कुल योग—		13				10				22			

मेडिकल आफिसर ऑफ हेल्थ कम सहायक आचार्य।

* लेडी मेडिकल आफिसर कम सहायक आचार्य।

***फिजिसिस्ट कम सहायक आचार्य

**एम०डी० ट्रांसपयूजन मेडिसिन को वरीयता दी जाएगी।

अर्हताएं एवं वेतमान:—

01-शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं—As pre MCI/NMC

Me

- 02-इच्छुक अभ्यर्थी माह के प्रत्येक बुधवार को समय प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक अयोध्यास्थानी कार्यालय उपस्थित हो सकते हैं। रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति का विवरण माह में एक बार अपलोड किया जायेगा। वाक-इन-इण्टरव्यू हेतु किसी प्रकार का टीओए/डीओए देय नहीं होगा।
- 03-चयनित चिकित्सा शिक्षकों को उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 18.07.2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 04-चिकित्सा शिक्षक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सहायक आचार्य-60 वर्ष सह आचार्य-64 वर्ष एवं आचार्य 68 वर्ष अधिकतम आयुसीमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- 05-एनओएमओसीओ/एमओसीओआईओ नई दिल्ली द्वारा सहायक आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एसओ आरओ का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
- 06-चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उओप्रओ राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी।
- 07-ओओपीओडीओ के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- 08-प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निदिष्ट करना होगा।
- 09-कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
- 10-प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- 11-संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने/महानिदेशालय से सेवाबाण्ड के आधार पर चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर (Last Come First Go) के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
- 12-चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न हाने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- 13-संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षक को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उओप्रओ लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
- 14-पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- 15-सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट mramc.ac.in पर प्रदर्शित है।
- 16-संविदा चिकित्सा शिक्षक स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
- 17-आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के पश्चात का ही मान्य होगा।
- 18-अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र साक्षात्कार तिथि से 06 माह की अवधि के पूर्व के मान्य नहीं होंगे।
- नोट:-वाक-इन-इण्टरव्यू (Walk in interview) में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(मुकेश यादव)
प्रधानाचार्य

संख्या-ईओसीओ-1/2026/5558-63 तददिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उओप्रओ शासन, लखनऊ को सादर।
- 2-महानिदेशक महोदय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उओप्रओ, जवाहर भवन, लखनऊ को अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति महानिदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3-प्रभारी अधिकारी वेबसाइट मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति को महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।
- 4-कुल सचिव, केओजीओएमओयूओ लखनऊ/उओप्रओ चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई/समस्त प्रधानाचार्य राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उओप्रओ को इस अनुरोध से प्रेषित कि विज्ञप्ति को महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 5-महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
- 6-गार्ड फाइल।

(मुकेश यादव)
प्रधानाचार्य